

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

1. जतीन पुत्र होदूराम

बनाम

1. होदूराम पुत्र गुरक्याल

जाति जाट सा0 चिड़िया गाँधी

2. पूनम पुत्री होदूराम

3. लैव

दावा बाबत :- 88 RACT

मुकदमा नम्बर :- 62/2020

निर्णय दिनांक :- 01/11/2021

वादी की ओर से वकील मिलादर अग्गवाल की व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 की

ओर से वकील कृष्ण भारी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01/11/2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने

पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 20 Ams खाता सं० 16/19 25

न ता 15, 17 ता 24, 36 1 ता 4, न ता 14, 17 ता 20, 24

कुल 8.311 हे० चक न 5DR के खाता सं० 28/27 के 103

10, 11, 20, 21, 104 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 30360 हे०

चक 6 SDR खाता 42/40 के 31 गा०, 8/1, 9/1, 10/1, 11 ता 14

12/1, 18/1, 19/1, 20/1 सु० न 66 न 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24

कुल 3.656 हे० में प्रतिवादी सं० 1 होदूराम का 1/5 हिस्सा राजस्व

रिहाई में 4 फे० हैं में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 होदूराम की बजाय वादी

व प्रतिवादी सं० 1 को वय हिस्सा बराबर के खाते का, काश्तका

क्षोषित किये जाते हैं - धुकि प्रतिवादी सं० 2 ने अपना एक व

हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में लगा उन शून्य

कर लिया है इसलिए नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय

पंजीयन शुल्क व ल्याम्प इष्टी अफा बुदने व यदि इषि भूमि

है व रख है तो काक रख मुक्ति के नियमानुसार डिक्री की

पालना की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)